

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.00 किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० अस्थाई खण्ड, थत्पूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	2.295 हेक्टेअर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.810 है० आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं०- 3 1.395 है० आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं०-4 0.090 है० सिविल सोयम भूमि (ग्राम रिंगालगढ़ अन्तर्गत) 2.295 है०
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के आरक्षित वन भूमि में 108 वृक्ष जिसमें 19 वृक्ष बांज प्रजाति तथा नाप भूमि में 18 वृक्ष जिसमें 12 वृक्ष बांज प्रजाति कुल 126 वृक्ष जिसमें 31 बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं प्रभावित /वाधक होने निहित है। प्रभावित /वाधित वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार /व्यासवार गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 19 से 21 पर चर्या है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं० -46 से 49 पर बरिष्ट भू-वैज्ञानिक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून की दि० 28-02-2015 की आख्या चर्या की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं०-3 व 4 एवं ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम व नाप भूमि) की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणियां अनुबधिति की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्ताव के पृष्ठ सं० - 22 पर प्रमाण पत्र चर्या किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—नहीं—
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्ताव के पृष्ठ सं० - 53 पर प्रमाण पत्र चर्या किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० - 52 पर चर्या है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात् 5.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव पृष्ठ सं० - 30 से 32 पर चरखा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात् 5.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रस्तावित कार्यस्थल से लगभग 300.00मी० दूर है तथा ढालदार व पहाड़ी क्षेत्र है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात् 5.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 12,66,660 (रु० बारह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात् 5.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 12,66,660 (रु० बारह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० - 29 (1) पर चरखा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ सं० - 12 व 13 पर है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्णित स्थल अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18-11-2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 92 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 हैक्टेयर/622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 218.90 है० /504.88 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 22-11- 2017।

मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (कहकड़ा नसीम) स्थान:-
सरकारी मुखिय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी